दिनांक	आज्ञा पत्र
8/3	प्रार्थी पक्ष अधि. उपस्थित हाजिर। अधि. उपस्थित सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आदेश एवं प्रार्थना आदेश के रहे। बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मूल वाद अपने अधिवक्ता अधिकृत की उद्घोषणा करवा पेश किया गया है जिसका निर्णय मूल वाद के उभयपक्ष द्वारा पेश साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर किया जाना है। मूल वाद के दौरान विवादित भूमि ~~के~~ के रिकॉर्ड की स्थिति में उपयुक्त विस्तार 152 द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तथा वाद बहुमूल्य बदने की भी संभावना है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को चरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमि ख.नं. 643, 644, 645, 646, 1258/647 कुल क्षेत्र 0.5 कुल रकबा 1.38 हेक्टर वाले फार्म नाकी तहसील सीकर, ग्राम पंचायत, नाडिया सीकर की भूमि पर ताजेखान वाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण की अगली सुनवाई दोपहर नम्बर सेक्शन हो, हाजिर दफ्तर रहे। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से लिखाया गया।